Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/टीए/3100/2006/भरतपुर

छोटूलाल पुत्र कल्यान जाति लोधा निवासी लीलेडा चारणान तहसल व जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील प्रार्थी
श्री एन.एन.सोलंगी उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.9.5.18

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 8/2002 में पारित आदेश दिनांक 7.2.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी वर्तमान प्रार्थी का जबाब बन्द कर दिये जाने से प्रतिवादी प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सी.पी.सी. का दिनांक 27.5.2005 को प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 7.4.2006 से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आलौच्य कानून की नजर में विधिक आदेश ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अति सुक्ष्म आदेश दिया है तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के कारणो का विवेचन नहीं किया गया है। आदेश 8 नियम 1 सी.पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय जबाब प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। प्रतिवादी प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। प्रतिवादी प्रार्थी का स्वास्थय ठीक

नहीं होने से वे नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अनुपस्थिति का कारण सदभावी है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रतिवादी प्रार्थी को जबाब प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित अवसर दिया गया है। प्रतिवादी प्रार्थी ने जानबूझकर जबाब प्रस्तुत नहीं किया है जिससे न्यायालय द्वारा जबाब बन्द किया गया है। प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की नियत से ही प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही नहीं की गई है। अतः यह निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4.6.2004 को प्रतिवादी का जबाब बन्द किया है। प्रतिवादी द्वारा 27.5.2005 को प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी को जबाब प्रस्तुत करने की अनुमति देने प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर आलौच्य आदेश से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश सुक्ष्म आदेश है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रार्थी ग्रामीण परिवेशन के काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं जिन्हें कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं होती है। न्याय का यह भी सिद्धान्त है कि प्रभावित पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। वर्तमान प्रकरण में प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक ओर अवसर दिया दिया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बून्दी का आदेश दिनांक 7.4.2006 निरस्त किया जाता है तथा रूपये 1500/– की कोस्ट पर प्रार्थी को जबाब प्रस्तुत कर एक ओर अवसर दिया जाता है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत दिनांक को अपना जबाब आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य